

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

प्रार्थी :- पुखराज पुत्र चेनाराम वगैरह --बनाम:-

अप्रार्थी :- तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व प्रा.पत्र

नम्बर :- १०९ / 2023

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियन्स जज

नम्बर व  
तारीख  
अहकाम जो  
हक हुक्म  
की तामील  
में जारी  
हुए

06.23

प्रार्थी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान केम्प देवरिया में पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 RT Act. के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रा. पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि मौजा- देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 195 में प्रार्थी की संयुक्त सहखातेदारी की भूमि हैं। जिसमें प्रार्थी का नाम पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती माली दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती सीरवी हैं, प्रार्थी ने अपना अशुद्ध नाम पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती माली के स्थान पर पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती सीरवी शुद्ध किये जाने का निवेदन किया है।

प्रशासन गांवो के संग अभियान कावलियाकलां में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण ने जांच कर, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें मौजा- देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 195 में संयुक्त खातेदारी की भूमि आयी हुई है। जिसमें प्रार्थी का नाम पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती माली दर्ज है जबकि प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात में पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती सीरवी दर्ज हैं, प्रार्थी का नाम पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती माली के स्थान पर पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती सीरवी शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पटवारी हल्का, भू. अ. निरीक्षक लाम्बिया व तहसीलदार जैतारण की अभिशंषा के आधार पर मौजा- देवरीया में स्थित कृषि भूमि खाता सं. 195 में प्रार्थी के नाम की त्रुटिपूर्ण एवं अशुद्ध प्रविष्टि पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती माली को विलोपित करते हुये इसके स्थान पर खातेदार का सही एवं वास्तविक " पुखराज, नारायणलाल, मंगलाराम पुत्र चेनाराम की जाती सीरवी " दर्ज करते हुये तहसीलदार जैतारण को इसी अनुरूप भू-अभिलेख अद्यतन किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है, अन्य प्रविष्टियां यथावत रहेगी। आदेशिका की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(पुखराज मुन्दा विष्णोई)  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन  
सहायक सहायक जैतारण (पाली)